(16)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Resto 2448-II/14

बेवा संतोष कुमारी पति स्व.रामनारायण शुक्ला ग्राम कोनिया तह.बिरसिंहपुर जिला सतना ———आवेदिका

बनाम्

राजकिशोर ग्राम कोनिया तह.बिरसिंहपुर जिला सतना ———अनावेदक
विजय कुमार त्रिपाठी, अधि.

श्री विजय कुमार .... द्वारा आज दि. 6.8.14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.8.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन—पत्र बावत् पुर्नस्थापना.
अंतर्गत धारा—35(3) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता.

मान्यवर,

आवेदन--पत्र के आधार निम्न हैं :—

1. यह कि उपरोक्त उन्मान प्रकरण की निगरानी आवेदिका के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें सुनवाई की तिथि 13.01.2014 प्राप्त हुई थी। आवेदिका अपने अधिवक्ता के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई, तब उसे जानकारी हुई कि माननीय न्यायालय अपने प्रवास में दिनांक 14.01.2014 को रीवा आ रहे हैं, जिससे पेशी 14.01.2014 कर दी गयी। आवेदिका दिनांक 14.01.2014 को माननीय न्यायालय में पहुंची, किन्तु तब तक माननीय न्यायालय, न्यायालय से जा चुके थे। रीडर से सम्पर्क करने पर एक आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. यह कि आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदिका को दिनांक 12.03.2014 की पेशी दी गयी। आवेदिका माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ आई, किन्तु माननीय न्यायालय का प्रवास उक्त दिनांक को भी रीवा में नहीं हो सका, जिससे उसे दिनांक 13.03.2014 की पेशी दी गयी। चूंकि आवेदिका वृद्ध महिला है और डेढ़ सौ किमी. की दूरी तय कर माननीय न्यायालय में पहुंचती है। तबियत खराब हो जाने की वजह से दिनांक 13.03.2014 को माननीय न्यायालय में

46

6-12-2014

रीडर

आवेदक अभिभावक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। आवेदक अभिभावक द्वारा आदेशिका दिनांक 12.8.14 के पालन में एफ.पी.-टीओ रसीद पुस्तक क्रं 2232 क्र 30 दिनांक 10-12-14 से 5000/- कास्ट जमा कर रसीद प्रस्तुत की। आवेदक अभिभावक के तर्कों से सहमत होते हुये प्रकरण R1278-II/14 पुनः नम्बर पर ली जाती है। रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सदस्य